पंजीकृत
तत्काल/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश,

संख्या–59 /सा0–2/XII–515/2012/(भाग–2) दिनांक 12.01.2016

विषय **पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–3386/सैतीस–2–2015–5 (3)/14 दिनांक 08 जनवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव या डी.पी.आर का कृषि विपणन विभाग के सुसंगत शासनादेशों में अनुमन्य मदों के सापेक्ष मदवार/वर्षवार विस्तृति विश्लेषण व स्थलीय निरीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति के साथ ही धनराशि अवमुक्त करने हेतु प्रस्ताव/डी.पी.आर शासन को भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में कहना है कि मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2 पशुपालन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति, जिसमें कि सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी सदस्य होगें, का गठन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक प्रस्ताव/डी.पी.आर का समिति द्वारा मदवार/वर्षवार विस्तृत विश्लेषण व स्थलीय निरीक्षण कर समिति एवं जिलाधिकारी की स्पष्ट संस्तुति के साथ ही प्रस्ताव/डी.पी.आर **पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अंदर पत्र वाहक के माध्यम** से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में प्रस्ताव/डी.पी.आर पर कोई विचार किया जाना सम्भव नही होगा जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

संलग्नकः–(1) शासनादेश–2।
(2)निदेशक मंडी परिषद को पत्र।

भवदीय,

(डा0 राजेश बाबू)
निदेशक।
प्रशासन एवं विकास

संख्या /सा0–2/XII–515/2012/(भाग–2) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(3) अध्यक्ष/सचिव उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(4) अनुसचिव, पशुधन अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या–3386/सैतीस– 2 –2015–5(3)/14 दिनांक 08 जनवरी,2016 के अनुकम में प्रेषित।

(डा0 राजेश बाबू)
निदेशक।
प्रशासन एवं विकास

संख्या-2,125(1)/12-5-2001-600(116)/99

डा0 नतीम जैदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मण्डी परिषद, उ0प्र0,
लखनऊ ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2001

विषय:- मण्डी परिषद की मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली आय का एक प्रतिशत गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन हेतु व्यय किया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 26-एम के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए मण्डी परिषद की मण्डी से मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली आय का एक प्रतिशत गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन हेतु व्यय किये जाने की निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 19 के खण्ड-3 के उप खण्ड-9-क के प्राविधान के दृष्टिगत मण्डी परिषद द्वारा अनुमोदित पूर्त संस्था/चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन (Charitable Institution) को गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन हेतु पिछले वित्तीय वर्ष से अपनी सम्पूर्ण वार्षिक प्राप्तियों का (धारा 17 के खण्ड 5 के अन्तर्गत प्राप्ति तथा सरकार द्वारा अनुदान में दी गयी धनराशि को छोड़कर) एक प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जायेगी । यह वित्तीय सहायता केवल बोर्ड की पूर्व अनुमति एवं मण्डी समिति निधि से दी जायेगी, मण्डी परिषद से नहीं । इसके लिए धारा 19 के अंत में जो प्रतिबन्ध दिया गया है उसे मद्देनजर रखा जायेगा ।

(2) उक्त प्रस्तर-1 के अनुसार प्राप्त धनराशि को उ0प्र0 गौ सेवा आयोग के खाते में रखा जायेगा । गौ सेवा आयोग इस धनराशि का उपयोग गौ-शालाओं/गौ सदनों के भलीभांति समन्वय, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु करेगा ।

अतः कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

डा0 नसीम जैदी,
सचिव ।

(कुमार प्रकाश)

संख्या-4(25)(1)/12 (दिनांक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3(घोषणा प्रकोष्ठ) को उनके पत्र संख्या-786/घोषणा/आर.एन. 69/2001(कम्प्यूटर संख्या-40430131269) दिनांक 8-6-2001 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण को लम्बित सूची से हटाने का कष्ट करें।

(2) गोपन अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या-4/2/28/2001 टी.एम.(1), दिनांक 8-10-2001 तथा पत्र संख्या-4/2/29/2001 दिनांक 16-10-2001 के संदर्भ में।

(3) सचिव, पशुधन विकास विभाग, उ0प्र0, शासन।

(4) अध्यक्ष, गौ सेवा आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1696(20)/उ0प्र0 गो0से0आ0/99, दिनांक 15-6-2001 व 28-6-2001 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(हेमन्त नाथ सिंह यादव)
विशेष सचिव।

4374 13-10-06

संख्या-2350 /80-1-2006-600116/99टी.सी.

प्रेषक,

एस.ए.ए.रिजवी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक-3 अक्टूबर, 2006

विषयः- मण्डी परिषद की मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली आय का एक प्रतिशत गो-संरक्षण एवं गो-संवर्धन हेतु व्यय किये जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-विप0-1/775/2006-2218, दिनांक-6-9-2006 का सन्दर्भ लें।

2- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-362(1)/12-5-2003-600(116)/99 दिनांक-14-2-2003 द्वारा गो-सेवा आयोग को मण्डी परिषद की मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली आय का एक प्रतिशत धनराशि गो-सेवा आयोग को अवमुक्त किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। इस संबंध में सचिव, पशुधन विभाग द्वारा अपने अर्ध शा0पत्र सं0-1427/स.प./06, दिनांक-31-7-2006 एवं अध्यक्ष, गो-सेवा आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक-18-8-2006 द्वारा शासन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि धनाभाव के कारण गो-सेवा आयोग अपने कार्यों की पूर्ति करने में असमर्थ है। इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय में एक याचिका भी(पी.आई.एल. सं0-3527 एम.बी)/2006 विचाराधीन है, जिसमें पशुपालन विभाग को शीघ्र अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

3- उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश सं0-362(1)/12-5-2003-600(116)/99 दिनांक-14-2-2003 में लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त करते हुए गो-सेवा आयोग को शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मण्डी परिषद द्वारा सीधे गो-सेवा आयोग को धनराशि अवमुक्त न करके सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन के निस्तारण पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जायः-

पशुधन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

(1) गो-सेवा आयोग को धनराशि दिये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-4125(1)/12-5-2001-600(116)/99 दिनांक-23-10-2001 में प्रतिपादित व्यवस्था से भिन्न मदों पर धनराशि का व्यय किसी भी दशा में न किया जाये।

(2) पूर्व में गो सेवा आयोग को दी गयी धनराशि रू0-250.00 लाख का पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्त विभाग से निर्देश प्राप्त कर टेक्निकल वित्तीय सम्प्रेक्षण कराया जाये तथा भविष्य में गो-सेवा आयोग को दी जाने वाली धनराशि कान्करेंट(सघन) आडिट कराया जाये।

(3) गो-सेवा आयोग द्वारा डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनाया जाये, जिसमें पूर्ति संस्था/चैरिटेबुल इंस्टीट्यूशन का विवरण, व्यय मदों का विवरण तथा व्यय का आगणन हो तथा परियोजना को गो-सेवा आयोग के प्रशासनिक विभाग, सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन से अनुमोदित कराने के उपरान्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ धन स्वीकृत/उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा जाये।

(4) गो-सेवा आयोग को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के व्यय का नियंत्रण सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र (मदवार व्यय की स्पष्ट सूचना सहित)अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय, ताकि अगली किश्त अवमुक्त करने में कोई वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न न हो। उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का सदुपयोग एवं उसके उपयोग के निमित्त शासन (पशुधन विभाग)स्तर पर समिति गठित कर दी जाय, जो धनराशि के उपयोग की नियमित समीक्षा करती रहे।

(5) इस शासनादेश के निर्गत होने के उपरान्त आवंटित/अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना अग्रिम धनराशि अवमुक्त करना वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं है। अतः भविष्य में जो भी धनराशि दी जाय उसे शासन के पशुधन विभाग को ही दिया जाये जो यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का सदुपयोग हो व उसी उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए दी गयी है।

(6) गो-सेवा आयोग को अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-50.00लाख की वसूली यू0पी0एग्रो से करने की प्रभावी कार्यवाही पशुपालन विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित करें, ताकि अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो।

4- उपरोक्तानुसार सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की स्पष्ट संस्तुति सचिव, पशुधन से प्राप्त होने पर निदेशक, मण्डी

परिषद द्वारा इस शासनादेश के उपरान्त अवमुक्त प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो।

भवदीय,

(एस.ए.ए.रिजवी)
सचिव

संख्या-2380 (1)/80-1-2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अध्यक्ष, गो-सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश।
(2) सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) सचिव, गो-सेवा आयोग, दसवॉ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(4) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(गया प्रसाद कमल)
उपसचिव

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

दूरभाष : 0522-2720383, 384, 405, 137, 138, 139 फैक्स : 0522-2720056

ई–मेल : mandipar@hotmail.com वेबसाइट : www.upmandiparishad.in

पत्रांक.............. विप0–1 / गो–सेवा–775टी0सी0 / 2015– 2709 दिनांक 27-08-2015

सेवा में,

विशेष सचिव,
पशुधन अनुभाग –2,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 31, अगस्त, 2015 को मऊ कार्यक्रम के दौरान गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु घोषणा के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 2521 / सैंतीस–2–2015 / 5(7) / 15 दिनांक 27, अगस्त, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 2380 / 80–1–2006–600–116 / 99टी0सी0 दिनांक 03.10.2006 के अनुसार मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सम्बन्धित कार्य कराये जाने हेतु मण्डी परिषद की मण्डी शुल्क / सेस से प्राप्त होने वाली आय का 01 प्रतिशत गो–संरक्षण एवं गो संवर्धन हेतु धनराशि की उपलब्धता से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 1.50 करोड़ से अधिक मण्डी शुल्क से आय वाली 156 मण्डी समितियों की कुल आय रू0 74896.80 लाख है, जिसका 01 प्रतिशत रू0 748.96 लाख होता है।

3– शासनादेश संख्या–4125(1) / 12–5–2001–600(116) / 99 दिनांक 23 अक्टूबर, 2001 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मण्डी परिषद द्वारा गो सेवा आयोग को उपलब्ध करायी गई धनराशि का उपयोग गौ–शालाओं / गौ सदनों के गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भली भांति समन्वय, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु किया जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि बायोगैस प्लान्ट व महाविद्यालय की स्थापना के भू–अर्जन हेतु अथवा अन्य निर्माण कार्यों हेतु इस धनराशि के उपयोग का कोई औचित्य नहीं है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 156 मण्डी समितियों की मण्डीवार प्राप्त मण्डी शुल्क की सूची पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 अनूप यादव)
निदेशक

पृष्ठांकन: क्रमांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक